राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )पराधि / प्रशा.1 / वि.अ. / संस्था / ट्रेप / राजगढ / चूरू / 2020 / 923 जयपुर दिनांक— 9/7/2020

—: आदेश :—

श्री वीरपाल, RRDS, विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजगढ जिला चूरू को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 25.6.2020 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर तफ्तीश प्रारंभ की गयी है एवं गिरफ्तारी दिनांक से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

श्री वीरपाल को राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1)(बी) के अन्तर्गत गिरफ्तारी दिनांक 25.6.2020 से निलम्बित (Deemed to have been suspended) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा से रिहा होने के पश्चात अविलम्ब अपनी उपस्थिति पंचायती राज विभाग, मुख्यालय जयपुर पर प्रस्तुत करेंगें।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके परिपत्र दिनांक 14.12.2000, 10.8.2001 एवं 31.7.2018 के क्रम में आदेश की पुष्टि करने हेतु प्रेषित है।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
8. जिला कलक्टर, चूरू।
9. पुलिस अधीक्षक—प्रथम, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो / अशा / 3 / 2020 / 796—96 दिनांक 29.6.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
10. अतिरिक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चूरू।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति राजगढ (चूरू)।
12. श्री वीरपाल, RRDS, विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजगढ जिला चूरू को निर्देशित किया जाता है कि वे पंचायती राज विभाग, मुख्यालय पर इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करेगें तथा बिना अनुमति मुख्यालय नही छोडेगें।
13. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
14. आदेश पत्रावली / निजी पत्रावली।

(गौरव चतुर्वेदी)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)